

प्रेषक

उमेश चन्द्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासना

खासरी संख्या 6-49-0/नलकूप
दिनांक 14-5-18

सेवा में

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

लखनऊ दिनांक : 11 मई 2018

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-मिर्जापुर के 08 अट्ट असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग उ०प्र० के पत्रांक-3209/03-72एटी/असफल 08 राजकीय नलकूप निर्माण/नलकूप नियंत्रण, दिनांक 20.04.2018 एवं शासनादेश सं०-14/2018/3615/सत्ताइस-10-17-33बजट/17, दिनांक 16.02.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत परियोजना की कुल अनुमोदित लागत रु० 1,81,69,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु० 90,84,500/- व्यय हेतु अवमुक्त की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-मिर्जापुर के 08 अट्ट असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में धनराशि रु० 90,84,500/- (रुपये नब्बे लाख चौरासी हजार पांच सौ मात्र) व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त परियोजना में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं०-14/2018/3615/सत्ताइस-10-17-33बजट/17, दिनांक 16.02.2018 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-94 के 'लेखाशीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-मू जल-03-नलकूप योजनाएं-0318-राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2 के आदेश सं०-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी की जा रही है।

भवदीय

उमेश चन्द्र
उप सचिव

संख्या-1002(1)/सत्ताइस-10-18, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारों) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
 - महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
 - प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
 - मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, लखनऊ।
 - वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
 - वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप) सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
 - मुख्य अभियन्ता (नलकूप वारणसी), सिंचाई विभाग, उ०प्र० वारणसी।
 - वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/सिंचाई अनु०-9/नियोजन अनु०-13
 - वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
 - गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से
उमेश चन्द्र
उप सचिव